

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक:आर-58/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-17(गाजि0)/131

दिनांक: मार्च 31, 2017,

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स एस0जी0 स्टेट लि0 द्वारा खसरा नं0-145, 199 ग्राम मोरटी जनपद गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के (टावर नं0-सी0, एफ0 एवं कम्यूनिटी हॉल) कुल-02 टावरों के निर्माण हेतु शमन मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल कम्पाउडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2017/28473/जीजैडबी/गाजियाबाद/1948/जे0डी0।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या:1083/एम0पी0/2-1/17 दिनांक: 17-02-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु शमन मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोविजनल कम्पाउडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से की गयी है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री आर0के0 यादव द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या पत्रांक:आर-38/एफएसके-2014 दिनांक: 23-03-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा गठित कमेटी द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 28-03-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपलब्ध तथा उनके द्वारा परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 30-03-2017 इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई तथा समस्त आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1-कुल प्लॉट एरिया-24,210.76 वर्ग मी0।

2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-1531.709 वर्ग मी0।

3-प्रस्तावित अपर/लोअर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-13,982.707 वर्ग मी0 प्रत्येक है। जिसमे प्रस्तावित 02 अदद टावरों का फ्लोरबाईज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क0स0	नाम टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई मी0।	ऊँचाई मी0।
1	टावर-सी0	02बेस0+भूतल/स्टिल्ट+19 तल	951.036	11232.80	02 अदद 01.50/01.50	59.49
2	टावर-एफ0	02बेस0+भूतल/स्टिल्ट+18 तल	540.665	6286.879	02 अदद 01.50/01.50	56.53
3	कम्यूनिटी	भूतल/स्टिल्ट+03 तल	126.727 (स्टिल्ट) 196.310 (भूतल)	819.611	01 अदद 02.00	13.93

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट, (एन0बी0सी0-2005 की ए-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-प्रश्नगत भवन के सामने 05.00 मीटर चौड़ा विद्यमान रोड एवं 12.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित है इस प्रकार कुल 17.00 मीटर चौड़ा रोड प्रदर्शित है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 04.50 मीटर प्रदर्शित है।

3-सैटबैक:- प्रस्तावित भवन के सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-15.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-15.04 मीटर।

डी-पार्श्व द्वितीय-15.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन विनियामली 2008 यथा संशोधित 2011 के अनुसार है। भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओ हेतु 06.00 मीटर चौड़ाई का हार्ड सरफेस युक्त मोटोरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जायेगा। इसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयर की चौड़ाई मानचित्र मे प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरिया:- भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना प्राविधानित है।

1-होजरील/डाउनकमर- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक के प्रत्येक तल पर होजरील, लैंडिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2-भूमिगत टैंक:-प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

3-पम्पस:- प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में विद्युत चालित फायर पम्प, (सिंक्रलर एवं हाईड्रैण्टस) इतनी ही क्षमता 01 अदद डीजल पम्प, एवं 01 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है। जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

4-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5-वेटराईजर- प्रस्तावित भवन में वेटराईजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6-यार्ड हाईड्रैण्टस:- प्रस्तावित भवन में रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम- प्रस्तावित भवनों के बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवनों के प्रत्येक तल पर ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है।

10-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम/मैकेनिकल वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

11-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

12-पी0ए0 सिस्टम- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13-कम्पार्टमेन्टेशन- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

14-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

15-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स एस0जी0 स्टेट लि0 द्वारा खसरा नं0-145, 199 ग्राम मोरटी जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के (टावर नं0-सी0, एफ0 एवं कम्प्यूनिटी हॉल) कुल-02 टावरों के निर्माण हेतु शमन मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल कम्पाउंडिंग अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वतः किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त अग्निशमन विभाग
संयुक्त अग्निशमन विभाग
उ0प्र0 नरसिंह

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

4- मैसर्स एस0जी0 स्टेट लि0 द्वारा खसरा नं0-145, 199 ग्राम मोरटी जनपद गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।